UPLK010071102026

In The Court Of Additional District and Session Judge Court No 5, Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (GAURAV SHARMA), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06276**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3389/2026 (अंतर्गत धारा 482 B.N.S.S.)

आदर्श राव, उम्र लगभग 23 वर्ष, पुत्र रमेश कुमार राव निवासी–ग्राम व पोस्ट गिरदा, थाना जनपद बहराइच, उ०प्र०।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

मु०अ०सं०–122/2026
अं०धारा– 69 बी०एन०एस०
थाना–बक्शी का तालाब, लखनऊ।

दिनांक–22.06.2026

1. अभियुक्त आदर्श राव की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या– 122/2026, अंतर्गत धारा– 69 बी०एन०एस०, थाना–बक्शी का तालाब, लखनऊ के मामले में अग्रिम जमानत हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से अंतरण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त आदर्श राव के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्नलिखित है–

– शपथी उपरोक्त मुकदमे में स्वयं प्रार्थी / अभियुक्त है तथा मुकदमे के सभी तथ्यों से भली भांति परिचित है।वादिनी मुकदमा अर्चना सिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 30.03.2026 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०– 122/2026, अं०धारा– 69 बी०एन०एस०, थाना– बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ में प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करायी गयी। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार विपक्षी आदर्श राव पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट गिरदा जनपद बहराइच के मकान में किराए पर कमरा लेकर जून 2025 से रह रहा था। इसी बीच प्रार्थिनी और विपक्षी के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए और विपक्षी ने प्रार्थिनी से शादी करके जीवन पर सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का वादा भी किया। प्रार्थिनी ने विपक्षी के परिवार के बारे में सब कुछ पता किया तो विपक्षी अविवाहित बताया। प्रार्थिनी द्वारा समय से विवाह ना करने पर पता लगाया तो पता चला की आदर्श राव पहले से शादी शुदा है और प्रार्थिनी से शादी का झासा देकर शारीरिक संबंध बनाया। वादिनी मुकदमा पहले से ही शादीशुदा है उसके नाम से जारी राशन कार्ड संख्या 115740345070 में उसके पति दिनेश

सिंह का नाम अंकित है। वादिनी मुकदम का पति दिनेश सिंह पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पर कार्यरत है तथा पुलिस विभाग में नामिनी के स्थान पर वादिनी मुकदमा अर्चना सिंह का नाम अंकित है। नगर पंचायत बक्शी का तालाब लखनऊ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दिनेश सिंह का विवाह वादिनी मुकदमा अर्चना सिंह से 12 वर्ष पूर्व होना बताया गया है। वादिनी मुकदमा अर्चना सिंह द्वारा पुलिस विभाग में दिये गये शपथ पत्र में अपना विवाह दिनेश सिंह से होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त बी०फार्मा का छात्र है तथा वह अपनी पढ़ाई हेतु किराये पर कमरा लेकर रहता था। वादिनी मुकदमा व प्रार्थी / अभियुक्त के मध्य किराये को लेकर वाद–विवाद हो गया था जिस कारण वादिनी मुकदमा ने रंजिशन प्रार्थी / अभियुक्त को उक्त झूठे मुकदमे में फॅसा दिया। वादिनी मुकदमा के पति दिनेश सिंह पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पर कार्यरत है जिसके प्रभाव में वादिनी मुकदमा ने उक्त झूठा मुकदमा प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत करा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के साथ कोई भी गलत कृत्य कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त विवाहित है उसने वादिनी मुकदमा से विवाह करने का कोई वादा नहीं किया था। वादिनी द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद व निराधार है। उपरोक्त मुकदमे में सम्बन्ध में प्रार्थी / अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष क्रि०मि० रिट याचिका सं0– 3290/2026 दाखिल किया है जो कि अभी लम्बित है जिसकी सुनवाई काफी लम्बे समय से नहीं हो पा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय व अन्य किसी माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्भ्रान्त व्यक्ति है जिसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 69 बी०एन०एस० का कोई भी अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी होने पर उसके छात्र और उसका भविष्य बर्बाद हो जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्ण आशंका है कि उपरोक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत दाखिल करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत से सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराया गया है और कथन किया गया है कि अभियुक्त अपनी जमानते देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना उचित होगा।

4. इसके विपरीत विद्वान सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तर्कपूर्ण बहस को सुना व पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

6. सुना एवं अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथपत्र तथा मुकदमा अपराध संख्या– 122/2026, थाना–बक्शी का तालाब लखनऊ की एफ०आई०आर० की छायाप्रति, थाना बक्शी का तालाब से प्राप्त कमेंट तथा उसके साथ प्रस्तुत केसडायरी के

अवलोकन किया गया। थाने से प्राप्त केस डायरी के पर्चा संख्या 4 दिनांक 30.03.2026 में पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० अंकित है, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि, " *मेरी उम्र 28 वर्ष है। मेरी दीदी के बच्चे और आदर्श के मामा के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे स्कूल के काम के कारण बच्चों ने मेरे नम्बर से बात होती थी आर्दश ने बच्चों के मोबाइल से मेरा नम्बर निकाल दिया और मुझे फोन करने लगा ऐसे ही धीरे धीरे हम दोनों में बात होने लगी आदर्श ने मुझे रेंट के रुम के लिए बोला मैंने अपने जीजा को सारी बात बतायी तो जीजा ने उनको एक रुम दे दिया आदर्श ने 10 दिन बाद शादी की बात की हम दोनो में प्रेम सम्बन्ध हो गया आदर्श ने मुझे शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए अगस्त, 2025 में आदर्श अपने घर गया और मुझसे 10,000/- रुपये मांगे मैंने भेज दिया आदर्श वापस आया और बोला उनकी कहीं नौकरी लग गयी और 15 दिन के लिए वहां गया 15 दिन वाद वापस आकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये एक दिन लगातार आर्दश का फोन बज रहा था पूछने पर बताया कि मेरी पत्नी का फोन है, पर तलाक का मुकदमा चल रहा है। हम लोग मान गये एक दिन एक महिला आयी उसने बताया कि वह आदर्श की पत्नी है। 19 दिसम्बर 2025 को आदर्श वापस आया तो उसने कहा चाहे जो हो जाये मैं तुमसे शादी करुंगा फिर वह घर चला गया 1 जनवरी, 2026 को फोन करके शादी से इन्कार कर दिया। 2 जनवरी 2026 को मैंने फोन किया तो आदर्श ने कहा शादी नहीं करुगा जो करना है कर लो आर्दश ने मुझसे एक घर और एसयूवी 700 की मांग दहेज में की थी। 9 लाख कैश मेरे घर से ले गये।*" उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि, अभियुक्त द्वारा पीड़िता का साथ शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये है। बाद में अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ शादी करने से इंकार कर दिया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का समुचित व पर्याप्त आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **आदर्श राव** की ओर से मु०अ०सं०-122/2026, अंतर्गत धारा- 69 बी०एन०एस०, थाना-बक्शी का तालाब, लखनऊ से संबंधित मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-3389/2026 **निरस्त** किया जाता है।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-5/
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट, लखनऊ।